राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांकः प.13(47)वित्त/बीमा/2026 जयपुर, दिनांकः– 04/05/26

आदेश

प्रदेश में जरूरतमंद, असहाय व अल्प आय वर्ग हेतु संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में पंजीकृत समस्त परिवारों हेतु दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के आदेश क्रमांक प.5(3)वित्त/बीमा/2022 दिनांक 07.03.2024, आदेश दिनांक 06.06.2024 एवं आदेश दिनांक 08.04.2025 के अतिक्रमण में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :

1. योजना का नाम एवं प्रारम्भ :–

   उक्त योजना का नाम ''**मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना**'' है। यह योजना दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएः–

   1. एम.ए.डी.बी.वाई.:– इससे तात्पर्य ''**मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना**'' से है।
   2. लाभार्थी परिवार :–लाभार्थी परिवार से आशय मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना/ राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में पंजीकृत है एवं पांचों विद्युत कंपनियों के वे विद्युतकर्मी, जो उपर्युक्त दोनों योजनाओं में कवर नहीं हो रहे हैं, के समस्त परिवार इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार माने जाएंगे।
   3. लाभार्थी सदस्य :– मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी सदस्यों के रूप में उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 के उप बिन्दु 2 में उल्लेखित लाभार्थी परिवार के वे सभी सदस्य सम्मिलित होंगे जिनका नाम जन आधार कार्ड में अंकित है। इसके अतिरिक्त, पंजीकृत परिवार का दो वर्ष तक का शिशु भी लाभार्थी सदस्य माना जायेगा, जिसका नाम जन आधार कार्ड में अंकित नहीं है।
   4. मुखिया :– लाभार्थी परिवार के जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया से है।
   5. सहायता राशि :– लाभार्थी परिवार के सदस्यों की योजना में वर्णित दुर्घटनावश मृत्यु/ स्थायी पूर्ण क्षति होने पर परिवार के एक सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख रूपये तक और एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में 10 लाख रूपये तक के भुगतान से है।
   6. एस.आई.पी.एफ. :– स्टेट इंश्यारेंस एण्ड प्रोविडेन्ट फण्ड (राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग) जिसके माध्यम से उक्त योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
   7. एम.ए.डी.बी.वाई. वेब पोर्टल :– इससे आशय इस योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार किये जाने वाले वेब पोर्टल से है।
   8. दुर्घटना में हुई मृत्यु/क्षति :– इस योजना के बिन्दु संख्या 6 में वर्णित दुर्घटनाओं में ऐसी शारीरिक चोट से हुई मृत्यु/क्षति से है जो बाह्य (External), हिंसात्मक (Violent) एवं दृश्य (Visible) माध्यम से घटित हुई हो। ऐसी मृत्यु/क्षति दुर्घटना दिनांक से 12 कैलेण्डर माहों के भीतर होने पर ही उसे दुर्घटना के कारण (Proximate Cause) के रूप में लिया जायेगा।
   9. योजना वर्ष :– योजना वर्ष से आशय योजना प्रारम्भ होने से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक की अवधि से है।

3. <u>योजना का उद्देश्य</u> :–

राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही स्वास्थ्य योजनाओं – मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में पंजीकृत परिवारों तथा विद्युत कम्पनियों के वे कार्मिक जो उपर्युक्त दोनों योजनाओं में सम्मिलित नहीं है, के परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में संबल प्रदान करने के उद्देश्य से यह मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना" (MADBY) प्रारंभ की गई है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार को 10 लाख रूपये तक की सहायता राशि निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावेगी। लाभार्थी परिवार के सदस्य/सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार लाभार्थी परिवार को आर्थिक सम्बल उपलब्ध कराया जायेगा।

4. <u>पात्रता</u> :–

योजना के अन्तर्गत वे परिवार, जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं पांचों विद्युत कम्पनियों के वे विद्युतकर्मी जो उपर्युक्त दोनों योजनाओं में कवर नहीं हो रहे हैं, के समस्त परिवार पात्र माने जाएंगें।

5. <u>वित्तीय प्रबंधन</u>:–

योजना का संचालन बजट मदों 2235–60–200–(27)–[01]-57, 2235–60–789–(08)–[01]-57 तथा 2235–60–796–(08)–[01]-57 के माध्यम से किया जायेगा। वित्त विभाग द्वारा इसी बजट मद में योजना संचालन हेतु राशि स्थानांतरित की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार से कोई अंशदान नहीं लिया जायेगा एवम् उत्पन्न होने वाले प्रकरणों की राशि का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

6. <u>योजना के अन्तर्गत सम्मिलित दुर्घटनाएं</u> :–

योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार के सदस्य/सदस्यों की निम्नांकित दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में भुगतान किया जाएगा:–

- (i) सडक/वाहन दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवम् वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/क्षति।
- (ii) लाभार्थी के ऊँचाई से गिरने तथा लाभार्थी पर ऊँचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति।
- (iii) मकान के ढहने से होने वाली मृत्यु/क्षति।
- (iv) डूबने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति।
- (v) रासायनिक द्रव्यों के छिडकाव के कारण मृत्यु/क्षति।
- (vi) बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु/क्षति।
- (vii) जलने से होने वाली मृत्यु/क्षति ।
- (viii) मशीन (थ्रेसर, कुट्टी मशीन, आरा मशीन, ग्लान्डर आदि) पर/से कार्य करते समय होने वाली मृत्यु/क्षति।

योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम कारित हुई है। शारीरिक चोट सन्दर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। मृत्यु/क्षति का सीधा संबंध (Proximate Cause) योजना में वर्णित दुर्घटना से होने पर ही भुगतान देय होगा।

7. योजना के अन्तर्गत लाभार्थी /पात्र परिवार को देय सहायता :–

क्र.सं.	दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार	दुर्घटना पर देय सहायता
1	दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर	5 लाख रूपये
2	दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर	10 लाख रूपये
3	दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/इन अंगो के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर)	3 लाख रूपये
4	दुर्घटना में हाथ/पैर/आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ इन अंगो के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर)	1.5 लाख रूपये

8. <u>योजना के अन्तर्गत लाभ कब देय नहीं होंगे</u> :–

योजना में प्राकृतिक मृत्यु अथवा प्राकृतिक शारीरिक क्षतियों पर तथा निम्न स्थितियों में लाभ देय नहीं होंगेः–

(i)	विभिन्न बीमारियों जैसेः केन्सर, टीबी, ह्रदयाघात (हार्ट अटैक) अथवा पागलपन इत्यादि से होने वाली मृत्यु अथवा अन्य क्षतियां।
(ii)	हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या अथवा आत्महत्या का प्रयास।
(iii)	लाभार्थी सदस्य द्वारा नशीले द्रव्य/ड्रग्स/एल्कोहॉल के सेवन से होने वाली मृत्यु/क्षति
(iv)	नाभिकीय विकिरण अथवा परमाण्विक अस्त्रों से होने वाली क्षति।
(v)	युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों इत्यादि से होने वाली क्षति/ मृत्यु।
(vi)	लाभार्थी सदस्य द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते समय हुई क्षति/मृत्यु।
(vii)	एविएशन में एन्गेज होने/बैलूनिंग/माउन्टिंग/डिस्माउन्टिंग के समय अथवा एअर क्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में यात्रा करते समय हुई मृत्यु/क्षति।
(viii)	विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ अथवा पैर का फ्रेक्चर इत्यादि होने की दशा में योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होंगे।
(ix)	योजना आदेश के बिन्दु संख्या 6 में वर्णित दुर्घटनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी दुर्घटना में लाभ देय नहीं होगा।
(x)	योजना में एक वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार के सदस्यों के संबंध में एक से अधिक प्रकरणों के मामलों में बीमित परिवार को योजना के अन्तर्गत देय अधिकतम भुगतान रूपये 10 लाख से अधिक नहीं होगा।

टिप्पणीः–

I. योजना अवधि में यदि किसी लाभार्थी सदस्य को पहले किसी प्रकार की स्थाई/पूर्ण क्षति/क्षतियों पर भुगतान किया जा चुका है तो योजना की शेष अवधि के दौरान लाभार्थी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में मृत्यु हेतु देय राशि में से पूर्व में स्वीकृत राशि कम करके लाभार्थी परिवार को शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।

II. योजना में हाथ की क्षति से आशय, हाथ के कलाई अथवा ऊपर से पार्थक्य होने अथवा हाथ के स्थायी रूप से पूर्णतः निष्क्रिय हो जाने से है। इसी प्रकार पैर की क्षति से आशय, पैर की एड़ी अथवा ऊपर से पार्थक्य होने अथवा पैर के स्थायी रूप से पूर्णतः निष्क्रिय हो जाने से है।

9. योजना के सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–

(i)	यह योजना जनआधार कार्ड से जुडी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही लाभार्थी परिवार का मुखिया माना जायेगा।
(ii)	इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार के किसी/किन्हीं सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु होने/स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में सहायता राशि का भुगतान परिवार की मुखिया के उस बैंक खाते में किया जायेगा जो जनआधार से लिंक हो। मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति तथा उसके भी जीवित नहीं होने पर परिवार में शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशो में विभाजित कर सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जायेगी।
(iii)	यह योजना जनआधार कार्ड से लिंक होने के कारण जनआधार कार्ड में अंकित परिवार की मुखिया एवं अन्य सदस्यों, सभी की मृत्यु हो जाती है या कोई सदस्य जीवित नहीं है तो इस योजना के तहत कोई भुगतान देय नहीं होगा।
(iv)	योजना के लाभ प्रत्येक लाभार्थी परिवार को, दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा योजना में उल्लेखित क्षतियाँ होने पर योजना के प्रभावी रहने की स्थिति में, किसी भी स्थान अथवा समय पर घटित होने पर देय होंगे।
(v)	योजना में प्राप्त प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के क्रम में आवश्यक होने पर किसी चिकित्साधिकारी अथवा अन्वेषणकर्ता द्वारा प्रकरण की जाँच कराई जा सकेगी, या कोई सुसंगत दस्तावेज मांगा जा सकेगा।
(vi)	दुर्घटना के कारण मृत्यु/क्षति होने की पुष्टि करने का दायित्व आवेदक का होगा।
(vii)	पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के प्रकरण वर्तमान योजना के तहत पूर्ववत निस्तारित किए जाएंगे।
(viii)	यदि योजना वर्ष में किसी सदस्य की दुर्घटनावश मृत्यु/क्षति कारित होती है तथा उसी योजना वर्ष में पुनः कोई दुर्घटना घटित होती है तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरूद्ध भुगतान करते समय पहले प्रकरण में किये गये भुगतान की राशि को कम करते हुए दूसरे प्रकरण के विरूद्ध भुगतान किया जायेगा।
(ix)	इस योजना में वर्णित दुर्घटनाओं के कारण हुई क्षति/मृत्यु की स्थिति में पात्र लाभार्थी परिवार को देय आर्थिक सहायता पर एस.डी.आर.एफ (State Disaster Response Fund), मुख्यमंत्री सहायता कोष, एन.डी.आर.एफ (National Disaster Response Fund) एवं राज्य सरकार की **अन्य निःशुल्क योजनाओं** (यथा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, विद्युत कम्पनियों द्वारा दिया जाने वाला मुआवजा आदि) से किये गये भुगतान को कम करते हुए दस लाख रूपये तक भुगतान किया जायेगा।

10. योजना के क्रियान्वयन हेतु वेब पोर्टल :–

(i) योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (एस.आई.पी.एफ.) द्वारा पृथक से वेब पोर्टल तैयार कराया गया है। उक्त योजना के वेब पोर्टल हेतु मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना एवं अन्य योजनाओं/विभागो के पोर्टल से संबंधित डेटा प्राप्त किया जायेगा। प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण की समस्त प्रक्रिया इस वेब पोर्टल के माध्यम से ही संचालित की जायेगी।

(ii) सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किए जा रहे SMART प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना से सम्बद्ध सेवाएं प्राथमिकता से शामिल की जायेगी।

11. प्रार्थना–पत्रों को ऑनलाइन किये जाने के समय अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज :–

श्रेणी	दुर्घटना का प्रकार	मृत्यु	क्षति
क	1. सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना 2. लाभार्थी के ऊँचाई से गिरने तथा लाभार्थी पर ऊँचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण 3. मकान के ढहने के कारण 4. मशीन (थ्रेशर, कुट्टि मशीन, आरा मशीन, ग्लान्डर आदि) पर /से होने वाली दुर्घटना	1. डिजिटल मृत्यु प्रमाण–पत्र 2. निम्न में से कम से कम कोई एक दस्तावेज :– i. पोस्टमार्टम रिपोर्ट/ चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी ii. एफ.आई.आर/मर्ग रोजनामचा रिपोर्ट iii. पंचनामा iv. इलाज का विवरण यदि चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।	1. चिकित्सालय की रिपोर्ट 2. एफ.आई.आर. /रोजनामचा (यदि कराई गई हो) 3. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट 4. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का डिजिटल प्रमाण–पत्र
ख	5. बिजली के झटके के कारण 6. रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण	1. डिजिटल मृत्यु प्रमाण–पत्र 2. निम्न में से कोई एक:– i. पोस्टमार्टम/एफएसएल रिपोर्ट ii. चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी 3. एफ.आई.आर/मर्ग/रोजनामचा रिपोर्ट 4. इलाज का विवरण यदि चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।	1. चिकित्सालय की रिपोर्ट 2. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट 3. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का डिजिटल प्रमाण–पत्र
ग	7. डूबने के कारण 8. जलने की स्थिति में।	1. डिजिटल मृत्यु प्रमाण– पत्र 2. एफ.आई.आर/मर्ग/रोजनामचा रिपोर्ट 3. पोस्टमार्टम/एफएसएल रिपोर्ट 4. एफ.आर 5. इलाज विवरण (यदि इलाज कराया गया हो)	1. चिकित्सालय की रिपोर्ट 2. एफ.आई.आर 3. एफ. आर 4. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट 5. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण डिजिटल अपंगता का प्रमाण–पत्र

12. योजना के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र निस्तारण की प्रक्रिया :–

i.	लाभार्थी परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटनावश मृत्यु होने अथवा योजना में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में लाभार्थी परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा वेब पोर्टल पर प्रार्थना–पत्र की ऑनलाइन पूर्ति की जायेगी।
ii.	दुर्घटना दिनांक/मृत्यु दिनांक/क्षति दिनांक (मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक) से 90 दिवस की अवधि में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
iii.	प्रार्थना–पत्र पोर्टल पर सबमिट करने पर जनआधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. भिजवाया जायेगा। जनाधार परिवार के मुखिया की मृत्यु की स्थिति में आवेदक द्वारा ऑनलाइन प्रार्थना–पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर पर ओटीपी भिजवाया जायेगा। आवेदक द्वारा ओ.टी.पी. को सबमिट करने तथा पोर्टल द्वारा Authentication कर लिये जाने पर ही प्रकरण पोर्टल पर Registered किया जायेगा।
iv.	पोर्टल पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने के बाद प्रकरण का गहन परीक्षण कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। प्रार्थना–पत्र निस्तारण के संबंध में अन्य दस्तावेज वांछित होने पर आवेदक से ऑनलाइन ही दस्तावेजों की मांग की जायेगी।
v.	सभी वांछित दस्तावेज प्राप्त होने/अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस में विभाग द्वारा प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जायेगा।
vi.	आवेदक के मोबाइल नम्बर पर स्वीकृति/अस्वीकृति एवं आक्षेप के संबंध में मैसेज भिजवाया जायेगा।
vii.	प्रार्थना–पत्र स्वीकृति योग्य होने पर जनआधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
viii.	मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति तथा उनके भी जीवित नहीं होने पर परिवार में शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशो में विभाजित कर लाभार्थी परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जायेगी। ऐसे जनाधार परिवार जिसमें मुखिया से भिन्न विवाहित सदस्य की योजना में वर्णित दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कुल देय राशि का भुगतान मुखिया एवं मृतक के पति/पत्नी को आधा–आधा देय होगा।
ix.	पारिवारिक विवाद की स्थिति अथवा न्यायिक प्रक्रिया लम्बित होने पर सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भुगतान देय होगा।
x.	प्रार्थना–पत्र को तकनीकी कारणो अथवा आपातकालीन परिस्थितियों के कारण निर्धारित 90 दिवस की अवधि पश्चात विलंब से प्रकरण प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा विलंब का युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत किये जाने पर 03 माह तक का विलंब में शिथिलन परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना एवं इसके पश्चात के आगामी 06 माह का विलंब में शिथिलन निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जा सकेगा। दुर्घटना/मृत्यु/अंग पार्थक्य के एक वर्ष पश्चात प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों पर कोई विचार नही किया जायेगा।
xi.	आक्षेप पूर्ति हेतु आवेदकों को वापस किये गये प्रकरणो में 03 माह तक आक्षेप की पूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में प्रकरण निरस्त कर दिया जायेगा, किन्तु जिन प्रकरणों में पुलिस एफआर या एफएसएल रिपोर्ट अपेक्षित हो उन प्रकरणों में संबंधित विभाग/संस्था द्वारा रिपोर्ट जारी किये जाने की तिथि से 30 दिवस तक विचारार्थ रखा जायेगा।

13. अपील सुनवाई व्यवस्था :–

1. प्रथम अपील : परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के निर्णय के विरूद्ध आदेश जारी किये जाने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को ऑनलाईन अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। इस स्तर पर 30 दिवस में अपील का निस्तारण किया जायेगा।
2. द्वितीय अपील : निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निर्णय के विरूद्ध आदेश की तिथि के 45 दिवस की अवधि में शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को द्वितीय अपील ऑनलाईन प्रस्तुत की जा सकेगी।

14. योजना का अंकेक्षण :–

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का अंकेक्षण, विभागीय आन्तरिक अंकेक्षण दल एवं महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा किया जायेगा।

15. निर्वचन एंव शिथिलन:–

निर्वचन, शिथिलन एवं कठिनाइयों के निराकरण संबंधी समस्त अधिकार वित्त विभाग में निहित होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय/राज्य मंत्री महोदय।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी, जयपुर।
11. निदेशक (सांख्यिकी) मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
12. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान जयपुर।
13. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
14. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. विधि रचना संस्थान, राजस्थान जयपुर।
16. संयुक्त निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर अनुभाग)
17. रक्षित पत्रावली।

(धनलाल शेरावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ को भी सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

(धनलाल शेरावत) 4/3/26
संयुक्त शासन सचिव